संख्या:170/2022/582/35-4-2022/ 001-35-4099/40/2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 जून,2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की लागत के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:155/2022/521/35-4-2022/001-35/4099/40/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा में राजकीय आईटीआई के भवन निर्माण कार्य की लागत को पुनरीक्षित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में जिलाधिकारी आगरा का पत्र संख्या **" 774/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0यो0/2020-21",** टंकण त्रुटिवश "744/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0/2020-21" अंकित हो गया है।

2- उक्त उक्त शासनादेश में जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या को **"774/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0यो0/2020-21"** पढ़ा जायेगा।

3- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:170/2022/582(1)/35-4-2022/35/4099/40/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा।
8- निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in